

राजस्थान सरकार
निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1(81)पीएस/निकाशि/12/618

दिनांक 11-12-12

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,


महालास. / अरु अरु अरु, अलवर / कला अलवर / बूंदी / कन्या भीलवाडा

विषय:- न्यायालय द्वारा पारित निर्णयानुसार कार्यरत/सेवानिवृत्त पुस्तकालयाध्यक्षों को यू.जी.सी. वेतनमान एवं कैरियर एडवॉन्समेंट स्कीम का लाभ मय ब्याज दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नलिखित डी.बी. स्पेशल अपील याचिकाओं में न्यायालय द्वारा पारित निर्णयानुसार सम्बन्धित पुस्तकालयाध्यक्षों को यू.जी.सी. वेतनमान के एरियर एवं कैरियर एडवॉन्समेंट स्कीम का लाभ मय ब्याज भुगतान किया जाना है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की अनुपालना में लेख है कि सम्बन्धित पुस्तकालयाध्यक्षों को यू.जी.सी. वेतनमान के एरियर एवं कैरियर एडवॉन्समेंट स्कीम का लाभ दिये जाने के फलस्वरूप दिनांक 25.03.2008 तक के एरियर राशि पर दिनांक 26.03.2008 से भुगतान की दिनांक तक की अवधि पर 12 प्रतिशत की साधारण ब्याज की दर से गणना कर देय ब्याज राशि की वर्षवार गणना कर विस्तृत सूचना दिनांक 13.12.2012 को सांय 4.00 बजे तक आवश्यक रूपसे इस कार्यालयकीवेबसाईट jdadm.n.cce@rajasthan.gov.in अथवा jdpers.cce@rajasthan.gov.in पर ई-मेल व फैक्स नम्बर 0141-2702247 पर फैक्स कर सूचित करें।


क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका कर्ता	पद	पदस्थापन स्थान
1.	डीबीसी एस.ए.डब्ल्यू नं. 550/12	श्री पी.सी. जैन	से.नि. पुस्तकालयाध्यक्ष	राज0 महा0, झालावाड
2.	डीबीसी एस.ए.डब्ल्यू नं. 550/12	श्री नारायण दास	से.नि. पुस्तकालयाध्यक्ष	राज0 राजर्षि महा0, अलवर
3.	डीबीसी एस.ए.डब्ल्यू नं. 550/12	श्री नत्थीराम गुप्ता	से.नि. पुस्तकालयाध्यक्ष	राज0 कला महा0, अलवर
4.	डीबीसी एस.ए.डब्ल्यू नं. 449/12	श्री रामस्वरूप मीणा	पुस्तकालयाध्यक्ष	राज0 महा0, बूंदी
5.	डीबीसी एस.ए.डब्ल्यू नं. 451/12	श्री मोहनलाल शर्मा	से.नि. पुस्तकालयाध्यक्ष	राज0 कन्या महा0, भीलवाडा


निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

क्रमांक एफ1(81)पीएस/निकाशि/12/

दिनांक

प्रतिलिपि :- श्री धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर - कृपया वेबसाईट पर अपलोड करें।


संयुक्त निदेशक
कालेज शिक्षा राजस्थान,
जयपुर

कार्यालय निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1(81)पीएस/निकाशि/12/617


दिनांक :- 11-12-12

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
हिण्डौनसिटी।

विषय :- डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 452/12 श्री रामप्रसाद मीणा बनाम राज्य अन्तर्गत एस.बी. सिविल याचिका संख्या 6593/05 की पालना बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एस.बी. सिविल याचिका संख्या 6593/05 में पारित निर्णय दिनांक 06.09.11 के विरुद्ध डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 452/12 में पारित निर्णय दिनांक 21.05.2012 के विरुद्ध राज्य सरकार स्तर पर आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण क्रमांक प.16(9)विधि/आकाशि/जे.पी./04 दिनांक 08.08.2012 अनुसार विशेष अनुमति याचिका दायर नहीं करने की अनुशंसा की गई है। उक्त आदेश दिनांक 08.08.2012 की अनुपालना में श्री रामप्रसाद मीणा पी.टी.आई. को यू.जी.सी. वेतनमान में वेतन निर्धारण कर यू.जी.सी. वेतनमान के एरियर के भुगतान पर दिनांक 26.03.2008 से भुगतान की तिथि तक 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से ब्याज की राशि की गणना कर वर्षवार विस्तृत विवरण प्रपत्र तैयार करें व व्यक्तिगत पंजिका एवम् सेवापुस्तिका के साथ डिस्पेच रजिस्टर एवम् सील आदि लेकर दिनांक 13.12.2012 को कार्यालय में स्वयं लेखा कर्मी एवम् डीलिंग कर्मचारी को लेकर प्रातः 10 बजे आवश्यक रूप से कार्यालय में उपस्थित हों। अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित करें।


निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।


दिनांक :- 11-12-12

क्रमांक एफ1(81)पीएस/निकाशि/12/617
प्रतिलिपि

1. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. उपविधि परामर्शी।
3. डॉ. अलका सिंह, सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

4. श्री श्रीरेण्डु देवर्षि, व्या. ० कॉलेज शिक्षा, राज. ० जयपुर -

- कृपया वेबसाइट पर अपलोड करें


संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।